

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 08 अगस्त, 2017

विषय: राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि का प्रान खाते में हस्तान्तरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन निदेशालय के पत्रांक:- पे0नि0/एन0पी0एस0/मिलान-2108/2017-18-4768 दिनांक 24.07.2017 द्वारा किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासा संस्थाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि उनके प्रान खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है। कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

--2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-26/2017/सा-3-437(1)/दस-2017-301(9)/एस0ए0बी0/2011,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- सहायक उपाध्यक्ष, एन0एस0डी0एल0, चतुर्थ तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बास मार्ग, लोवर पैरल, मुम्बई-400013 ।
- 4- चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।